न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 50/2017/(2017/00079) जिला–नागौर

1. शांति देवी पत्नी घनश्याम
2. कैलाशी देवी पत्नी सोहनलाल
3. लीलाधर पुत्र सोहनलाल
4. कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र भींयाराम
5. रूपाराम पुत्र कानाराम

   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम किराप, तहसील डीडवाना जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. लादूराम पुत्र कांशीप्रसाद
2. लोकेश पुत्र छगनलाल

   जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम किराप, तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर, डीडवाना दिनांक 27–07–2017
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 97/2017 बउनवान तहसीलदार बनाम संतोष व अन्य

–––––

उपस्थित– 1. श्री जी.एस.लखावत् अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री मूल चन्द शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1, 2

निर्णय

दिनांकः– 19–07–2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 ने खसरा संख्या 254 की सम्पूर्ण भूमि की खड़ाई कर रास्ते के स्वरूप को नष्ट कर एक आवेदन पत्र सहायक कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में खसरा नम्बर 254 में रास्ता नहीं होने बाबत प्रस्तुत किया जिस पर अपीलार्थीगण की केवियट होने के बावजूद भी विधिसम्मत कार्यवाही किये बिना, नोटिस व सूचना दिये बिना तथा पटवारी हलका द्वारा नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा एक तरफा कार्यवाही कर आदेश दिनांक 27–7–2017 द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 21–3–2017 जिसमें खसरा संख्या 254 की भूमि में से 6 बिस्वा भूमि गैर मु. रास्ता अंकित करने का आदेश पारित किया, को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थीगण ग्राम किराप के निवासी है तथा अपीलार्थीगण की स्वयं की खातेदारी की भूमि के साथ अन्य सहखातेदार भी है। ग्राम किराप के खसरा नम्बर 177, 181, 182, 245, 247, 249 स्थित है इस भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 254 में से होते हुए ही है तथा खसरा संख्या 254 गांव की आबादी से निकलने पर सड़क से सटा हुआ है तथा खसरा संख्या 254 की उत्तरी सीमा खत्म होती है वहां पर राजस्व अभिलेखों में रास्ते बाबत अंकन खसरा संख्या 254 में नहीं था परन्तु मौके पर रास्ता चालू है। अपीलार्थीगण के खेतो में आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प–3 (2) राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 के सन्दर्भ में तहसीलदार डीडवाना ने रास्ते बाबत समस्त जांच करते हुए दिनांक 17–3–2017 को चालू स्थायी सार्वजनिक रास्तो के अंकन बाबत निवेदन किया इस पर दिनांक 21–3–2017 को सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा आदेश पारित किया तथा खसरा नम्बर 254 की भूमि में से 6 बिस्वा भूमि गैर मु0 रास्ता अंकित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की अनुपालना में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कर दी गईतथा खसरा संख्या 254 बाबत नामान्तरकरण संख्या 965 स्वीकार किया जाकर रास्ते की भूमि के खसरा संख्या 1068/254 कायम किये गये।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दिनांक 17–3–2017 को तहसीलदार, डीडवाना ने सहायक कलक्टर डीडवाना को जो प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे उनमें फसल खरीफ सम्वत 2073 के दौरान हलका पटवारी द्वारा गिरदावरी ग्राम किराप के दौरान ऐसे चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ते मौके पर पाये गये जिनका राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शे में अंकन नहीं है, उनका अंकन करने बाबत अभिशंषा की गई तत्पश्चात ही सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा आदेश दिनांक 21–3–2017 पारित किया गया था। तत्पश्चात प्रत्यर्थीगण द्वारा गलत कृत्य करते हुए रास्ते की भूमि के स्वरूप को खुर्दबुर्द करने के प्रयास में खड़ाई करने के पश्चात सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायलय ने अपीलार्थीगण को बिना सुने, गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 27–7–2017 पारित कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 249,177, 239, 181, 182, के बीच में खसरा संख्या 250 जो रास्ता है, अंकित है, परन्तु खसरा संख्या 254 की सीमा जहां से शुरू होती है, वहां नक्शे में रास्ते का अंकन नहीं है एवं अभिलेखों में भी अंकन नहीं है, इसी की दुरूस्ती की गई थी, इससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या 254 के दक्षिणी सीमा पर रास्ता उपलब्ध है तथा दक्षिणी सीमा से उत्तर की ओर पूर्वी माड के सहारे–सहारे खसरा संख्या 254 में मौके पर चालू रास्ते का राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं है परन्तु सदैव से

यह रास्ता चालू रहता आया है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने का नहीं है। उक्त समस्त बिन्दु राजस्व नक्शे से ही प्रकट रूप से साबित है इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने राजस्व नक्शे का समुचित अवलोकन किये बिना पूर्व पारित आदेश को बिना किसी आधार के खारिज कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा किस प्रावधान के तहत पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गई यह भी स्पष्ट नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने में निहित पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल आदेश दिनांक 27–7–2017 पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण तहसीलदार बनाम संतोष देवी के रूप में दर्ज किया गया है परन्तु संतोष देवी की मृत्यु पहले से ही हो चुकी है इस कारण संतोष देवी को इस अपील में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया जा रहा है तथा अपील में वर्णित अपीलार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर सक्रिय रूप से काश्त एवं भूमि पर आवागमन अपीलार्थीगण द्वारा ही किया जाता रहा है। वर्तमान में अपीलार्थीगण काश्तकारी कार्य करने से पूर्णतया प्रभावित हो रहे है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–7–2017 को निरस्त किया जाकर पूर्व आदेश दिनांक 21–3–2017 को बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 254 में मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं था। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना का कोई रास्ता दर्ज किये जाने से संबंधित आदेश आज दिन तक प्रभाव में नहीं है। उक्त खसरा नम्बर में मौके पर कोई रास्ता नहीं है तथा न ही मौके पर रास्ते के कोई निशानात है मौके पर एक काफी पुराना कुण्ड बना हुआ है। सरपंच द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 254 में कोई रास्ता नहीं है का घोषणा पत्र दिया है। तहसीलदार, डीडवाना ने रिपोर्ट दिनांक 13–7–2017 में अंकन किया है कि खसरा नम्बर 254 में लोगो का कोई आवागमन नहीं है तथा न ही मौके पर कोई आवागमन के चिन्ह/निशानात है। इस खेत की दक्षिणी–पूर्वी सीव के कोने में बरसाती पानी का हौद बना हुआ है तथा अन्य खेतो वाले नाडी व गांव में पहुंचने के लिए दूसरे रास्तो का उपयोग करते है। खेत खसरा नम्बर 254 में से वर्तमान में कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 22–11–2018 द्वारा भी गैर मुमकिन रास्ते को विलोपित कर उसे कुण्ड दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2017 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नए रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अपीलार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे है। अपने उक्त कथन के समर्थन में प्रत्यर्थीगण अभिभाषक द्वारा

डीएनजे 2017 रीविजन/टीए/7641/2015/श्री गंगानगर निर्णय दिनांक 21–10–2016 पेज नम्बर बउनवान गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम जाट व अन्य की नजीर प्रस्तुत कर इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 177, 181, 182, 245, 247, 249 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 254 को रास्ते के उपयोग में लिया जाता है जबकि खसरा नम्बर 254 नक्शे में एवं राजस्व अभिलेख में कहीं पर भी रास्ता दर्ज नहीं है तथा न ही मौके पर आवागमन के चिन्ह/निशानात है। सार्वजनिक रास्ता खसरा नम्बर 250 में से तरमीम किया हुआ है जिसमें से ग्रामवासियों का आवागमन होता है। सरपंच ग्राम पंचायत केराप द्वारा भी खसरा नम्बर 254 के रास्ते के संबंध में दिया गया पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को राजस्व रेकार्ड के अधिकार में होने के कारण निरस्त किया है। खसरा नम्बर 254 में लोगो का कोई आवागमन नहीं है तथा न ही मौके पर कोई आवागमन के चिन्ह/निशानात है। इस खेत की दक्षिणी–पूर्वी सीव के कोने में बरसाती पानी का हौद बना हुआ है तथा अन्य खेतो वाले नाडी व गांव में पहुंचने के लिए दूसरे रास्तो का उपयोग करते है। खेत खसरा नम्बर 254 में से वर्तमान में कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 22–11–2018 द्वारा गैर मुमकिन रास्ते को विलोपित कर उसे कुण्ड दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 254 का राजस्व अभिलेख एवं नक्शें में रास्ते का अंकन नहीं है जिसमें से उक्त विवादित रास्ता निकाले जाने संबंधी प्रस्ताव व आदेश ग्राम पंचायत/तहसीलदार द्वारा पारित किये गय थे जबकि उन्हें पूर्ववर्ती रास्ते को खुलवाने संबंधी अधिकार प्रदत्त है, उन्हें नये सिरे से रास्ता निकालने बाबत आदेश देने का क्षैत्राधिकार नहीं है सुखाचार बाबत तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत रूके हुए रास्ते को खुलवाने संबंधी क्षैत्राधिकार है। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2017 न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतएवं उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है।

यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि तहसीलदार डीडवाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को रास्ते से सम्बन्धित प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 17.03.2017 एवं दिनांक 13.07.2017 में खसरा न0 254 में विवादग्रस्त रास्ते बाबत अत्यधीक विरोधाभास है। तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 17.03.2017 में खसरा न0 254 कुल रकबा 03–16–00 किस्म बारानी–दोयम में 00–06–00 चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता दर्शाते हुए इसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जाने की अभिशंषा की गई है जबकि इसके विपरित तहसीलदार, डीडवाना ने मौका रिपोर्ट दिनांक 13–7–2017 में अंकन किया है कि खसरा नम्बर 254 में लोगों का कोई आवागमन नहीं है तथा न ही मौके पर कोई आवागमन के चिन्ह/निशानात है। इस खेत की दक्षिणी–पूर्वी सीव के कोने में बरसाती पानी का हौद बना हुआ है तथा अन्य खेतो वाले नाडी व गांव में पहुंचने के लिए दूसरे रास्तो का उपयोग

करते है। खेत खसरा नम्बर 254 में से वर्तमान में कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। तहसीलदार डीडवाना की रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट दिनांक 17.03.2017 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा उनके निर्णय दिनांक 21.03.2017 से उक्त खसरा में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते का अंकन किये जाने के आदेश दिये गये एवं तत्पश्चात् तहसीलदार डीडवाना की रास्ते बाबत दूसरी मौका रिपोर्ट दिनांक 13.07.2017 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा उनके निर्णय दिनांक 27.07.2017 से स्वंय के निर्णय दिनांक 21.03.2017 को निरस्त किया गया। यह सब तहसीलदार डीडवाना की दोनों विरोधाभासी मौका रिपोर्ट के कारण ही हुआ है। अतः तहसीलदार डीडवाना का यह कृत्य उनके द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। इसलिए तत्कालीन तहसीलदार डीडवाना के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु माननीय राजस्व मण्डल को पृथक से लिखा जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 97/2017 बउनवान तहसीलदार बनाम संतोष व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(एल.एन.मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर